



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231244
CG-DL-E-18112021-231244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4420]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943

No. 4420]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2021

का.आ. 4787(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा साइबर न्याय विज्ञान विभाग, राज्य न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, वेल्लायम्बलम, तिरुवंतपुरम केरल, को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान-फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान।

[फा. सं. 2(3)/2020-सी.एल.ई.एस]

डॉ. राजेंद्र कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2021

S.O. 4787(E).—In exercise of the powers conferred by section 79A of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies Cyber Forensic Division, State Forensics Science Laboratory, Vellayambalam, Thiruvananthapuram Kerala, as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:-

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;
- (b) Mobile Devices Forensics.

[F. No. 2(3)/2020-CLES]

Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.